

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY
CORRIGENDUM**

Delhi, the 8th March, 2010

F. No. 10(929)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10890.—In partial modification of Notification order issued vide F.No.10(929)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9467 dated 6th January, 2010 issued by the order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) on the aggregate value of Rs. 40,00,00,000 for issue of secured unrated unlisted Non Convertible redeemable debentures bearing distinctive No.001 to 40,00,000 by M/s. Prakausali Investments (India) Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi-110 016, the stamp duty chargeable thereon may be read as Rs. 4,00,000 (Rs. Four Lac) in place of Rs.10,00,000 (Ten Lac) as per calculation made on the basis of information supplied by the applicant company with regard to redemption period of debentures.

आदेश

दिल्ली, 9 मार्च, 2010

सं. फा. 10 (1096)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10897.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आईपी इंजिन मैनैजमेंट (इंडिया) प्रा. लि., 208, सूर्यकिरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 20,010 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 101 (रुपये एक सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDERS

Delhi, the 9th March, 2010

No. F. 10(1096)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10897.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IP Engine Management (India) Private Limited, 208, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.101 (Rs. One Hundred One) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,100 for equity share certificates with Distinctive Nos. 10,001 to 20,010 to be issued by the said company.

दिल्ली, 11 मार्च, 2010

सं. फा. 10 (985)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10945.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक

शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मीले इंडिया प्रा. लि., ग्राउंड फ्लोर, सूट नं. 1 से 5, कोपिया, कर्मशियल प्लॉट नं. 9, जसोला, नई दिल्ली-110 025, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 28,68,60,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 2,86,86,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,86,860 (रुपये दो लाख छयासी हजार आठ सौ साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 11th March, 2010

No. F. 10(985)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10945.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Miele India Private Limited, Ground Floor, Suite No. 1 to 5, Copia, Commercial Plot No. 9, Jasola, New Delhi-110 025 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,86,860 (Rs. Two Lac Eighty Six Thousand Eight Hundred Sixty) only on the aggregate value of shares of Rs. 28,68,60,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 1 to 2,86,86,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1110)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10946.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स प्रकौसली ईन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) प्रा. लि., सी-41, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली-110 016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 68,10,00,000 मूल्य के सेक्योर्ड अनरेटिड अनलिस्टेड नन कनवर्टीबल रिडिमेबल डिबेन्चर (सीरीज-IV) जिनकी पृथक संख्या 001 से 681 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6,81,000 (रुपये छः लाख इक्यासी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1110)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10946.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prakausali Investments (India) Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi-110 016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6,81,000 (Rs. Six Lac Eighty One Thousand) only on the aggregate value of debentures of Rs. 68,10,00,000 for issue of Secured unrated unlisted non Convertible reedemable debentures (Series-IV Debentures/Debenture) bearing distinctive Nos. 001 to 681 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1113)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10947.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ओबेर्थर कार्ड सिस्टम्स, प्रा. लि., सी-37, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 32,34,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26,60,001 से 3,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3,23,400 (रुपये तीन लाख तेइस हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1113)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10947.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Oberthur Card Systems Private Limited, C-37, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3,23,400 (Rs. Three Lac Twenty Three Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 32,34,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 26,60,001 to 3,50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1109)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10948.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्टूडियो यू प्लस ए नोर आर्किटेक्ट्स प्रा. लि., एम-26, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 21,43,570 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 29487 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2144 (रुपये दो हजार एक सौ चौवालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1109)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10948.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Studio U Plus a NORR Architects Private Limited, M-26, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2144 (Rs. Two Thousand One Hundred Forty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 21,43,570 for equity share certificates with Distinctive Nos. 10001 to 29487 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1111)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10949.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ऑल इ टेक्नोलोजीज प्रा. लि., यू यू-14, विशाखा एन्क्लेव पीतम पुरा, नई दिल्ली-110088, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,37,501 से 13,12,501 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 750 (रुपये सात सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1111)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10949.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. All e Technologies Private Limited, UU-14, Vishakha Enclave, Pitam Pura, New Delhi-110088 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.750 (Rs. Seven Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,50,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 12,37,501 to 13,12,501 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1107)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10950.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोसलाईट इंडिया टेलीकाम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,61,26,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,42,95,114 से 2,19,07,713 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 76,126 (रुपये छियत्तर हजार एक सौ छब्बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1107)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10950.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-110074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.76,126 (Rs. Seventy Six Thousand One Hundred Twenty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,61,26,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 1,42,95,114 to 2,19,07,713 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1099)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10951.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 226,92,00,000 मूल्य के बण्डस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 201,00,05,620 से 201,00,08,311 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 6,67,200 (रुपये छः लाख सड़सठ हजार दौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1099)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10951.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6,67,200 (Rs. Six Lac Sixty Seven Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 226,92,00,000 for bonds in the nature of promissory note with Distinctive Nos. 201,00,05,620 to 201,00,08,311 and distinctive Nos. 470,00,00,849 to 470,99,02,848 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1086)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10952.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अनमोल पब्लिकेशनस प्रा. लि., यू 4374/4बी, अनसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 4,98,001 से 7,47,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2490 (रुपये दो हजार चार सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1086)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10952.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Anmol Publications Private Limited, 4374/4B, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2490 (Rs. Two Thousand Four Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,90,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 4,98,001 to 7,47,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1095)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10953.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ.

148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्नेप डेगन एमिनिटिज प्रा. लि., 9, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,79,99,980 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 9,30,410 से 12,56,123 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 22,800 (रुपये बाइस हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1095)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10953.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SNAP Dragon Amenities Private Limited, 9, Nizamuddin East, New Delhi-110013 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.22,800 (Rs Twenty Two Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,79,99,980 for equity share certificates with Distinctive Nos. 9,30,410 to 12,56,123 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1094)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10954.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स जीडीडी एक्सपर्ट इंडिया प्रा. लि., बी-8/सी, सांवल नगर, सादिक नगर के सामने, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,58,080 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 1,22,179 से 1,67,986 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 459 (चार सौ उनसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1094)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10954.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GDP Experts India Private Limited, B-8/C, Sanwal Nagar, Opp. Sadiq Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.459 (Rs. Four Hundred Fifty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,58,980 for equity share certificates with Distinctive Nos. 1,22,179 to 1,67,986 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)